भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3704
12 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

राजस्थान में मत्स्यपालन

3704. श्री राजकुमार रोत:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के बांसवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मत्स्यपालन के लिए कुल कितनी निधि आवंटित की गई है;
(ख) मत्स्यपालन के लिए जारी निविदाओं का, निविदा राशि और प्राप्तकर्ता सहित, ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में माही बांध पर मत्स्यपालन का ठेका उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को दिया गया था लेकिन वह ठेका सम्बंधी कार्य पूरा नहीं कर पाया;
(घ) यदि हाँ, तो उक्त योजना के अंतर्गत बांसवाड़ा में अब तक लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है और कितनी राशि और अनुदान प्रदान किया गया है तथा उक्त मामले में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
(ङ) क्या सरकार का भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने और उक्त योजना के अंतर्गत स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता देने का विचार है; और
(च) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत राजस्थान में मत्स्यपालन सहित मात्स्यिकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए विगत 5 वर्षों के दौरान 22.22 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर के साथ कुल 66.12 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि PMMSY के अंतर्गत बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग से कोई बजट आवंटन नहीं किया गया है।
(ख): राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मत्स्य कृषि के लिए जारी निविदा का विवरण, निविदा राशि तथा निविदा प्राप्तकर्ता का नाम अनुबांध -I में दिया गया है।
(ग) से (च): राजस्थान सरकार ने सूचित किया है PMMSY के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को केज कल्चर यूनिट स्थापित करने की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन वह व्यक्ति दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना को पूरा करने में विफल रहा। PMMSY के अंतर्गत, अब तक बांसवाड़ा में 6 लाभार्थियों को 68.74 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। राजस्थान सरकार ने यह भी सूचित किया है कि नियमों और शर्तों के अनुसार, परियोजना को पूरा करने में विफल रहने वाले चूककर्ता से अनुदान राशि वसूलने के लिए पुलिस के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की गई है। PMMSY के अंतर्गत योजना का लाभ उठाने के लिए स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई है। बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में, इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत अधिकांश लाभार्थी स्थानीय लोग हैं।

*****

अनुबांध -I

राजस्थान में मत्स्यपालन के संबंध में 12 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य, लोक सभा श्री राजकुमार रोत द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3704 के भाग-(ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क्रम सं.	जलाशय का नाम	अनुबंध राशि	ठेकेदार का नाम
1.	बांध माही बजाज सागर , बसवाड़ा	शून्य राजस्व मॉडल	श्रीमती आशा परमार पुत्री श्री गजराज सिंह, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश
2.	बांध कागदी पिकअप वियर	65,381/-	श्री अमर सिंह पुत्र श्री बाबूलाल बाथम, निवासी उपला भोईवाड़ा, बांसवाड़ा
3.	बांध सुरवानिया	12,89,120/-	श्री दीपेश जोशी पुत्र श्री दिनेश जोशी, निवासी लोधा, बांसवाड़ा
4.	बांध लोढ़ा	4,22,000/-	श्री अमर सिंह पुत्र श्री बाबूलाल बाथम, निवासी उपला भोईवाड़ा, बांसवाड़ा
5.	माही नदी	52,101/-	श्री प्रदीप सिंह सिसोदिया पुत्र श्री शिवसिंह निवासी हेड पोस्ट मेतवाला, तहसील - गढ़ी जिला बांसवाड़ा
6.	बांध मेमखोर	1,15,120/-	श्री अमानुल्लाह खान पुत्र श्री अमीर मोहम्मद, ग्राम पोस्ट - देलवाड़ा लोकिया, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा राजस्थान
7.	बांध फाटा	1,19,419/-	श्रीमती अनीता बाथम पत्नी श्री अमर सिंह बाथम, निवासी उपला भोईवाड़ा, बांसवाड़ा
8.	बांध आसन	1,66,457/-	श्री अमर सिंह पुत्र श्री बाबूलाल बाथम, निवासी उपला भोईवाड़ा, बांसवाड़ा
9.	बांध लसाडा	1,42,615/-	श्रीमती यशवंत कुंवर पत्नी श्री प्रदीप सिंह, निवासी मेतवाला, बांसवाड़ा
10.	बांध पतेल्ला	1,41,897/-	श्री अमर सिंह पुत्र श्री बाबूलाल बाथम, निवासी उपला भोईवाड़ा, बांसवाड़ा
11.	बांध कोहाला	1,58,925/-	श्री गणपत लाल पुत्र श्री भगवान लाल, निवासी कल्याण कॉलोनी, बांसवाड़ा
12.	बांध पलवरिया	1,58,925/-	श्रीमती रानू डोडियार पत्नी श्री मनोज डोडियार, निवासी चोबीशा का पाड़ला, गामड़ी, दशहरा, बांसवाड़ा
13.	बांध भगोरा	4,48,000/-	प्रशासक, श्री हरि राम पारगी, वागड़ फिशरीज़ मैनुफेक्चर कोपरेटिव कमेटी लिमिटेड भगोरा तालाब तहसील - गढ़ी, जिला बासंवाड़ा
14.	बांध फुट्टन	20,000/-	प्रशासक, श्री दिनेश चंद्र भगोरा, फुट्टन तालाब बहुउद्देशीय फिशरीज़ कोपरेटिव कमेटी लिमिटेड, जिला बांसवाड़ा
15.	बांध कुपडा	48,350/-	श्री विक्रम सिंह मईडा पुत्र श्री नारायण लाल, निवासी पंचलावासा, बांसवाड़ा
16.	बांध सोनारिया	26,624/-	श्री भोलेश मईडा पुत्र श्री प्रभुलाल मईड़ा, निवासी खेरदा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा
17.	बांध कुंडिया बांध	16,370/-	प्रशासक श्री नाउरू (आदिवासी मत्स्यखेत फिशरीज़ कोपरेटिव कमेटी लिमिटेड कुंडिया बांध, बांसवाड़ा)

18.	बांध राम का मुन्ना	10,850/-	श्री खातुराम कटारा पुत्र श्री नाथूलाल, निवासी राम का मुन्ना, बांसवाड़ा
19.	बांध गंगरदतलाई	10,100/-	श्री मुरारीलाल मचार पुत्र श्री लखजी, निवासी गांगड़तलाई बांसवाड़ा
20.	बांध खोटेला	9,170/-	प्रशासक श्री प्रेमचंद निनामा (खटेला फिशरीज़ मैनुफेक्चर फिशरीज़ कोपरेटिव कमेटी लिमिटेड नाथेली, बांसवाड़ा)
21.	बांध जिथुला	6,500/-	प्रशासक श्री भांकर कलासू (मत्स्यखेत कोपरेटिव कमेटी लिमिटेड जिठुला, बांसवाड़ा)
22.	बांध पाचाल	4,800/-	प्रशासक श्री खतराम मत्स्यखेत कोपरेटिव कमेटी लिमिटेड डूंगरा फला, पाचल बांसवाड़ा)
23.	बांध भोजला	6,400/-	प्रशासक श्री भगवती लाल (मत्स्यखेत कोपरेटिव कमेटी लिमिटेड द्वितीया भोजला, बांसवाड़ा)
24.	बांध नया तालाब	8,581/-	प्रशासक श्री भरत डिंडोर (मत्स्यखेत कोपरेटिव कमेटी लिमिटेड सागवाडिया प्रथम आबादी तालाब, बांसवाड़ा)
बांसवाड़ा-डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र			
1	बांध कडाना बैक वाटर	शून्य राजस्व मॉडल	जाकिर हुसैन पुत्र श्री सिकन्दर खान ग्राम पोस्ट साकोदरा , डूंगरपुर (राज.)
2	बांध लोदेश्वर	8,08,91/-	तौसीफ हुसैन पुत्र श्री नियामत हुसैन, पतेला, डूंगरपुर (राजस्थान)
3	बांध एडवर्डसमंद	18,830/-	एडवर्ड्समंड फिशिंग कोपरेटिव सोसाइटी
4	बांध लोवरघोड़ी	51,925/-	लोवरघोडी फिशिंग कोपरेटिव सोसाइटी
5	बांध तोमातिया	3,00,900/-	प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री हकरा मनात, इंद्रखेत, डूंगरपुर (राजस्थान)
6	बांध पदारा	81,000/-	लाल खान पुत्र श्री अब्दुल खान झल्लारा, सलूम्बर (राजस्थान)
7	बांध अखेपुर	1,00,500/-	सैजात हुसैन पुत्र श्री नियामत हुसैन, पतेला, डूंगरपुर (राजस्थान)
8	बांध बाबा की बार	1,36,527 / -	आसिफ खान पुत्र श्री घांसी खान, छीपो का मोहल्ला, बगरू जयपुर (राज.)

*****